

बिहार सरकार

विधि विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-बी0/मु0स्था0-02-02/2010/144/जे0, पटना, दिनांक-09.10.2012

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-367 दिनांक-27.09.2012 द्वारा विधि विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन के फलस्वरूप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय), बिहार, पटना के कार्यालय आदेश-ज्ञापांक-1591 दिनांक-05.10.2012 द्वारा विरमित किये जाने के उपरांत श्री अनिल कुमार, सहायक द्वारा विधि विभाग, बिहार, पटना में समर्पित योगदान को उनके योगदान की तिथि 08.10.2012 (पूर्वाहन) से स्वीकृत करते हुए उन्हें प्रशाखा-बी (मुख्यालय स्थापना) में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री कुमार को न्यायालय भवनो के आधारभूत संरचना से संबंधित सभी कार्यों के साथ विधि आयोग के स्थापना से संबंधित सभी कार्य अगले आदेश तक आवंटित किया जाता है।
3. यह कार्य आवंटन कार्य हित में किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग से सहायकों की पदस्थापना के पश्चात् इसे पुर्नआवंटित किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
5. पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
6. सभी संबंधितों को निदेश दिया जाता है कि वे तीन दिनों के अन्दर निश्चित रूप से प्रभार का आदान प्रदान कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें।
7. कार्यावंटन में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-अनिल कुमार सिंह

सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0-...../जे0, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-अनिल कुमार सिंह

सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0-.....7586...../जे0, पटना, दिनांक11/10/12.....

प्रतिलिपि:-सचिव, विधि विभाग के प्रधान आप्त सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी विभागीय पदाधिकारी/सभी सहायक/सचिव सह निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय), पटना/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, पंत भवन, पटना/विधि (लेखा) विभाग, बिहार, पटना (दोहरी प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-बी (मुख्यालय स्थापना), विधि विभाग, पटना/श्री अनिल कुमार, सहायक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनिल कुमार सिंह
(अनिल कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव, बिहार।
11/10/12